मुख्यमंत्री सहायता कोष से गम्भीर रोगोपचार हेतु सहायता का सादे कागज पर आवेदन पत्र का प्रारूप

श्रीमान सचिव महोदय,
मुख्यमंत्री सहायता कोष,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय :– गम्भीर रोगों के उपचार हेतु राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष द्वारा राशि स्वीकृत करने के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत मुझे/मेरे आश्रित के रोगोपचार हेतु सहायता राशि स्वीकृत करने के लिए निम्न विवरणानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हैः–

(1) रोगी का नाम एवं पता ....

(2) बीमारी का नाम ....

(3) चिकित्सालय का नाम जहां ईलाज होना है ....

(4) ईलाज पर होने वाला सम्भावित व्यय ....
सम्बन्धित चिकित्सालय का ऐस्टीमेट मय चिकित्सक की मोहर, ऑपरेशन की संभावित तिथि, भर्ती दिनांक सहित।

(5) भर्ती दिनांक ....ऑपरेशन दिनांक................डिस्चार्ज/उपचार पूरा होने की दिनांक ....
रोगोपचार पूर्ण होने/डिस्चार्ज होने के सम्बन्ध में सही सूचना अंकित करें। रोगोपचार पूरा होने के बाद मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता देय नहीं है।

(6) परिवार की वार्षिक आय ....
(आय उद्घोषणा पत्र में मुखिया, बालिग पुत्र, पुत्री, पुत्रवधु की आय एवं कृषि, शेयर, ब्याज, गृह सम्पत्ति की आय सहित अंकित करें। मा. सांसद एवं विधायक महोदय के अलावा अन्य समस्त आय प्रमाणितकर्ता का पूरा नाम, पता, पदनाम, मोबाईल नं. सहित स्पष्ट अक्षरों में लिखा जावे तथा फोटोयुक्त आई.डी. की प्रति संलग्न करें।

(7) रोगी का आधार नं.

(8) भामाशाह कार्ड नं.

रोगी राज्य का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में चयनित परिवार का सदस्य एवं बी.पी.एल. श्रेणी में नहीं हैं। मैं भलीभांति जानता हूं कि मुख्यमंत्री सहायता कोष से गरीब, असहाय, जरूरतमंद व्यक्तियों को सहायता दी जाती है। अतः मैने परिवार की सही आय अंकित की है। मैने कोई भी गलत तथ्य अंकित नहीं किया है एवं कोई भी जानकारी नहीं छिपाई है।

संलग्न –

1. राशन कार्ड की छाया प्रति।
2. राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित उद्घोषणा पत्र (फोटो उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा सत्यापित)।
3. आवेदन प्रस्तुतकर्ता रोगी के परिवार का सदस्य नहीं होने की स्थिति में फोटोयुक्त आई.डी. की प्रति।

हस्ताक्षर प्रार्थी

नाम ....

वर्तमान पता ....
....

स्थाई पता ....
....

दूरभाष/मो. न. ....